

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 128 / 2017

तारीख रजु 07.09.2017

## उनवान

नत्था सिंह पुत्र किशन लाल वगै० जाति जाटव निवासी बंडपुरा मण्डावरा तहसील हिण्डौन  
जिला करौली

—वादी

## बनाम

श्रीमति हेमलता पत्नि बहादुर वगै० जाति जाटव निवासी बंडपुरा मण्डावरा तहसील हिण्डौन  
जिला करौली

—प्रतिवादीगण 26

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


## निर्णय

दिनांक 06.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा  
बावत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा स्थित ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन के खसरा न. 969,  
964, 970, 963, 967, 979, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, के सम्बंध में पेश  
किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई।  
पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त  
दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 128/2017 नत्था सिंह बनाम हेमलता  
अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज  
दिनांक 06.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल  
शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
06.03.2020  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

